

**न्यायालय:-शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजड**  
**जिला-बडवानी (म0प्र0)**

आर.सी.टी. नं.187 / 2017

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 655 / 2017

संस्थान दिनांक 01.09.2017

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द, ठीकरी,  
जिला-बडवानी म0प्र0

-----अभियोगी

**वि रु द्ध**

1. मोहन उर्फ गुड्डु पिता दयाराम धनगर आयु 30 वर्ष,  
निवासी दवाना थाना ठीकरी,जिला-बडवानी म0प्र0 ।
2. नरेन्द्र पिता तोताराम राजपूत, आयु 30 वर्ष,  
निवासी दवाना थाना ठीकरी जिला बडवानी म0प्र0 ।

-----अभियुक्तगण

राज्य द्वारा	—	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	—	श्री एच0सी0 बंसल अधिवक्ता ।

**—: नि र्ण य :-**  
**(आज दिनांक 27.03.2018 को घोषित)**

अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 324 / 34 का आरोप इस आधार पर है कि, उन्होंने दिनांक 07.08.2017 को बलगांव रोड सती माता मंदिर के सामने दवाना में दिन के लगभग 3:00 बजे फरियादी सुभाष को धारदार वस्तु दराता से मारपीटकर स्वैच्छया उपहति कारित की ।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि,फरियादी द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने के आधार पर अभियुक्तगण को भादसं0 की धारा

294,323,506 भाग-2 के अपराधों से दोषमुक्त किया गया है, व धारा 324/34 भा.द.सं. के अंतर्गत विचारण जारी रखा गया है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दि० 07.08.2017 को दिन के लगभग 3:00 बजे नरेन्द्र पिता तोताराम, मोहन उर्फ गुड्डु बलगांव रोड पर ढोर चरा रहे थे। वह उनके पास राम राम करने गया तो इसी बात पर से इन दोनों ने उसको मां बहन की नंगी नंगी गालिया देने लगे। उसने गालिया देने से मना किया तो नरेन्द्र के हाथ में बकरी के लिये पाला काटने वाला दराता था। उसने उसे दाडी के नीचे मारकर चोट पहुंचाई व खून निकलने लगा तथा मोहन उर्फ गुड्डु ने भी उसे मां बहन की नंगी नंगी गालिया देकर उसके हाथ में लकड़ी थी जो उसने उसे पीठ पर लकड़ी मारकर चोट पहुंचाई। वह चिल्लाया तो उसका साला कान्हा व कालु ने झगड़े का बीच बचाव किया। फिर दोनों ने बोला कि, आज तु बच गया किसी दिन जान से खत्म कर देंगे। फिर वह अपने साला कान्हा व पत्नी को साथ में लेकर थाना रिपोर्ट करने गये थे। फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध क्र० 234/17 पंजीबद्ध किया तथा नक्शा मौका बनाया गया। जप्ती पंचनामा बनाया गया साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, एवं सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 324/34 भा.द.सं. का भी आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं०प्र०सं० के परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है, किन्तु बचाव में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये हैं।

## 5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 07.08.2017 को समय 3:00 बजे स्थान बलगांव रोड सती माता मंदिर के सामने दवाना में, फरियादी सुभाष को स्वैच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अनुसरण में सुभाष को धारदार वस्तु दराता से मारपीट कर उसे स्वैच्छयापूर्वक उपहति कारित की?

**साक्ष्य विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार**

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में साक्षीगण सुभाष (अ.सा. 1), प्रतापसिंह (अ.सा.2) के कथन कराये हैं।

7. सर्वप्रथम यह विचार किया जाना है कि, क्या घटना दिनांक को फरियादी/आहत सुभाष (अ.सा.1) को चोटे कारित हुई। इस संबंध में विचार करने पर फरियादी सुभाष (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि, जहां पर विवाद हुआ था, वहां पर बहुत से नुकीले पत्थर पड़े हुये थे। उक्त साक्षी का पैर फिसल गया था, जिससे मुंह के बल गिर गया था। उक्त साक्षी को जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर दाढ़ी के नीचे लगा था जिससे चोट आयी थी। बचाव पक्ष द्वारा फरियादी/आहत सुभाष को आयी हुयी चोटों के संबंध में दी गयी चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। अतः बचाव पक्ष द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट को स्वीकार कर लेने के कारण व फरियादी सुभाष (अ.सा.1) के चोट से संबंधित कथनों से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि, उक्त दिनांक को फरियादी/आहत सुभाष (अ.सा.1) को चोटे आयी थी।

8. अब यह विचार किया जाना है कि, उक्त चोटे अभियुक्तगण के द्वारा आहत सुभाष (अ.सा.1) को कारित करने हेतु सामान्य आशय बनाया और सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी/आहत सुभाष (अ.सा.1) को धारदार वस्तु दराता से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की। फरियादी सुभाष (अ.सा.1) ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि, वह अभियुक्तगण मोहन व नरेन्द्र को जानता है। घटना लगभग डार्क माह पूर्व शाम के समय की है। उक्त साक्षी का अभियुक्तगण से मवेशी चराने की बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद जहां पर हुआ था, वहां पर बहुत से नुकीले पत्थर पड़े हुये थे, उसका पैर फिसल गया था, जिससे वह मुंह के बल नीचे गिर गया था, उसे जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर दाढ़ी के नीचे लगा था, जिससे चोटे आयी थी। उक्त साक्षी ने घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर की थी, जो प्रोपी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9. उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे गये, व साक्षी ने यह बात से इंकार किया है कि, उसकी दाढ़ी के नीचे आरोपी नरेन्द्र ने दराता मार दिया था, जिससे उसे चोट आकर खून निकला था, व इस बात से भी इंकार किया है कि, रिपोर्ट प्रोपी0 1 में दर्शित तथ्य कि, अभियुक्त नरेन्द्र द्वारा दराता मारा गया था। उक्त साक्षी द्वारा पुलिस को प्रोपी0 2 के कथन भी देने से इंकार

**// 4 // आपराधिक प्रकरण क्रमांक 655 / 2017**  
**संस्थान दिनांक 01.09.2017**  
**आर.सी.टी. नं.187 / 2017**

किया है, व यह स्वीकार किया है कि, अभियुक्तगण से उसने राजीनामा कर लिया है। इस प्रकार फरियादी/आहत् सुभाष ने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है।

**10.** साक्षी प्रतापसिंह (अ.सा.2) जो कि, घटना के अनुसंधानकर्ता अधिकारी है, ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि, वह दिनांक 07.08.2017 को पुलिस थाना ठीकरी पर प्र०आरक्षक के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को थाना ठीकरी के अपराध क्र० 234/2017 धारा 294,323,324/34,506 भा.द.सं. की प्रथम सूचना प्रतिवेदन अभियुक्तगण नरेन्द्र व मोहन उर्फ गुड्डु निवासी दवाना के विरुद्ध विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान साक्षी कालु की निशादेही से घटना स्थल का नक्शामौका प्र०पी० 3 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरा आहत् कान्हा, कालु सुभाष के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, आपनी मर्जी से कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं। दिनांक 18.08.2017 को अभियुक्त मोहन उर्फ गुड्डु के पेश करने पर एक बांस की लकड़ी दो फीट लंबी तीन गठान वाली गवाहों के समक्ष जप्त की थी, जप्ती पंचनामा प्र०पी० 4 है, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसी दिनांक को अभियुक्त नरेन्द्र के पेश करने पर एक लोहे की दरता जिस पर लकड़ी का हत्था लगा है, गवाहों के समक्ष जप्त की थी। जप्ती पंचनामा प्र०पी० 5 जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। बाद विवेचना पूर्ण कर केस डायरी थाना प्रभारी के सुपुर्द की थी।

**11.** उक्त साक्षी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि, घटना स्थल डामर रोड है, वह यह भी स्वीकार किया है कि, डामर रोड पर कोई गिर जाये तो उसे चोट आ सकती है, व जप्तशुदा लोहे का दरता आसानी से लोगो के घर में उपलब्ध हो जाता है।

**12.** फरियादी साक्षी सुभाष (अ.सा.1) ने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है, व साक्षी प्रतापसिंह (अ.सा.2) ने अनुसंधान में की गयी कार्यवाही के संबंध में कथन किये हैं, चूंकि प्रकरण में आहत् स्वयं ने घटना का समर्थन नहीं किया है। विवेचना अधिकारी की साक्ष्य औपचारिक स्वरूप की रह जाती है। अतः साक्षी आहत् सुभाष के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने के कारण अभियुक्तगण के विरुद्ध दोषसिद्धि का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

**13.** राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के फरियादी ने आरोपीगण से राजीनामा किया है तथा आरोपीगण के विरुद्ध कोई भी कथन नहीं किये हैं तो अभियुक्तगण के विरुद्ध भादस० कीधारा 324/34 का अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध दोषसिद्धि के संबंध में कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

// 5 // आपराधिक प्रकरण क्रमांक 655 / 2017  
संस्थान दिनांक 01.09.2017  
आर.सी.टी. नं.187 / 2017

14. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि, अभियोजन अपना मामला आरोपीगण के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः यह न्यायालय अभियुक्तगण मोहन उर्फ गुड्डु पिता दयाराम , नरेन्द्र पिता तोताराम को भा0द0सं0 की धारा 324 / 34 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

15. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16. प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस की लकड़ी एवं एक लोहे का दराता अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

17. आरोपीगण के अभिरक्षा में रहने के संबंध में भादसं0 की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही / -

सही / -

(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
अंजड़, जिला बडवानी

(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
अंजड़, जिला बडवानी